राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, स्वास्थ्य भवन, जयपुर

क्रमांक :– एफ. 11(10) एन.एच.एम./स्टोर/टैक्सी/2017/ 951 दिनांक :– 11-12-17

निविदा सूचना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान, जयपुर की ओर से राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी हेतु प्रतिदिन के आधार पर किराये के वाहनों की आवश्यकता है। अतः वार्षिक दर संविदा हेतु मुहरबंद निविदायें आंमत्रित की जाती है।

(राशि रूपयों में)

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (वार्षिक)	अमानत राशि	निविदा शुल्क
1.	वाहन प्रतिदिन के आधार पर किराये पर उपलब्ध कराना	2500000/–	50,000/–	500/–

निविदा Bid Document प्रपत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित निविदा शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, जयपुर के पक्ष में बनवाकर दिनांक 15.01.2018 को अपरान्ह 12.00 बजे तक कमरा नं0 230, द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर से प्राप्त कर निविदायें दिनांक 15.01.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे तक कमरा नम्बर सी–208, प्रथम तल एनएचएम विंग में जमा करायी जा सकती है। निविदाऐं दिनांक 15.01.2018 को सांय 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। दरें मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावे, जिस पर स्पष्ट रूप से "वाहन प्रतिदिन के आधार पर किराये पर उपलब्ध कराने हेतु" निविदा लिखा होना चाहिए।

पूर्ण निविदा विवरण एवं शर्ते State Public Procurement Portal Website www.sppp.raj.nic.in एवं विभागीय वेब साईट www.rajswasthaya.nic.in पर भी उपलब्ध है। जिसे डाउनलोड किया जाकर निविदा शुल्क के डी0डी0 मय बिड सिक्योरिटी के साथ जमा कराया जा सकता है।

शासन सचिव
चिकि. स्वा. एवं प.क.
एवं मिशन निदेशक एनएचएम

क्रमांक :– एफ. 11(10) एन.एच.एम./स्टोर/टैक्सी/2017/ 951 दिनांक :– 11-12-17
प्रतिलिपिः–

01. निजी सहायक, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक एनएचएम।
02. निदेशक आरसीएच।
03. निदेशक वित्त एनएचएम।
04. मैनेजर, यातायात यूनिट, राजस्थान टूरिज्म डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, खासा कोठी जयपुर
05. केयर टेकर, उधोग भवन को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना का आपके विभाग में पर्याप्त प्रचार प्रसार करावें।
06. केयर टेकर, योजना विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना का आपके विभाग में पर्याप्त प्रचार प्रसार करावें।
07. केयर टेकर, शासन सचिवालय को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना का पर्याप्त प्रचार प्रसार कराने का श्रम करावें।
08. केयर टेकर, कृषि विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना का आपके विभाग में पर्याप्त प्रचार प्रसार करावें।

09. केयर टेकर, विधुत विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना का आपके विभाग में पर्याप्त प्रचार प्रसार करावें।
10. मै0 बालाजी टयूर्स, डी–18, विजयविहार कालोनी नया खेडा, अम्बावाडी जयपुर।
11. मै0 गुरू जम्भेश्वर टयूर एण्ड ट्रेवल्र्स, बी–109, जयपुर नगर निगम के सामने, लाल कोठी टोंक रोड जयपुर।
12. मै0 वंशिका टयूर एण्ड टेवल्र्स, बी–17,ए पृथ्वी नगर, नया खेडा, विधाधर नगर जयपुर।
13. मै0 नीलम टयूर प्लानर्स, जी–68, अग्रसेन टावर, सैन्ट्रल स्पाईन विधाधर नगर जयपुर।
14. मै0 नेशनल टयूर प्लानर्स, 13, राजेन्द्र नगर ए दादी का फाटक जयपुर।
15. मै0 नैनवा टयूर एण्ड ट्रेवल्र्स, स्वर्ण पथ, मानसरोवर जयपुर।
16. मै0 पूजा टयूर एण्ड ट्रेवल्र्स, 178, राम नगर सोडाला जयपुर।
17. मै0 राजस्थान फोरव्हील ड्राईव प्रा0लि0, 1–ए, फतह नगर, सूर्य नगर, तारों की कूट, टोंक रोड जयपुर।
18. मै0 ग्लोबल टयूर्स एण्ड ट्रेवल्र्स, 205, अरिहन्त प्लाजा, मालवीय नगर जयपुर।
19. मै0 साई कृपा ट्रेवल्र्स, एस/जी 26 जेडीए काम्पलेक्स, सुभाष नगर, जयपुर।
20. मै0 जैन टैक्सी सर्विसेज, 56, सारती नगर, जलपथ, श्याम नगर, सोडाला जयपुर।
21. मै0 मरूधर टूयर्स एण्ड ट्रेवल्र्स, एच–20, भगत सिंह मार्ग, सी–स्कीम जयपुर।
22. मै0 बोबी ट्रेवल्र्स, ए–1, नाहरगढ किले के नीचे, मीना बस्ती जयपुर।
23. सलाहकार आईटी को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट www. rajswasthaya. nic.in & http://spp.raj.nic.in पर आवश्यक रूप से अपलोड करावें।

संयुक्त निदेशक (वित्त)
नेशनल हैल्थ मिशन
राजस्थान जयपुर

निविदा प्रपत्र

राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी
के लिए प्रतिदिन के आधार पर
वाहन उपलब्ध कराने हेतु

क्रमांक :– एफ. 11(10) एन.आर.एच.एम./स्टोर/टैक्सी/2017/ दिनांक :–

(निविदायें राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी (एनएचएम) में दिनांक 13.12.2017 से दिनांक 15.01.2018 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक बेची जाकर दिनांक 15.01.18 को ही मध्यान्ह 3.00 बजे तक जमा की जावेगी एवं दिनांक 15.01.2018 को ही अपरान्ह 4.00 बजे खोली जायेगी)

निविदाकर्ता का नामः– ....

पत्राचार का पूर्ण पताः– ....

....

....

....

निविदा राशि 500/– बैंक का नाम एवं डीडी नम्बर ....

अमानत राशि 50000/– बैंक का नाम एवं डीडी नम्बर ....

दूरभाष नं. :– ....फैक्स नं. : ....

ई–मेल :– .... मोबाईल न. ....

राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी (एनएचएम)

कमरा नं0 सी–208, प्रथम तल, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

परिशिष्ट–अ

विभाग द्वारा आवश्यकता पडने पर **प्रतिदिन के आधार** पर वाहन उपलब्ध कराने की दरे :–

वाहन का नाम (मेक सहित) (1 जनवरी 2012 के बाद का मॉडल)		जयपुर मुख्यालय एवं जयपुर से बाहर हेतु प्रतिदिन के आधार पर वाहन उपलब्ध कराने की दर		रात्रि विश्राम की दरें प्रति रात्रि
		न्यूनतम प्रथम 250 कि0मी0 तक की दर	**250 कि0मी0 के अतिरिक्त प्रति कि0मी0 की दर**	
Indigo	A.C			200 Rs. Per Night fixed
	Non. A.C.			200 Rs. Per Night fixed
Swift Dezire	A.C			200 Rs. Per Night fixed
	Non. A.C.			200 Rs. Per Night fixed
Etios	A.C			200 Rs. Per Night fixed
	Non. A.C.			200 Rs. Per Night fixed
Innova	A.C			200 Rs. Per Night fixed
	Non. A.C.			200 Rs. Per Night fixed

1. समस्त प्रकार की दरें मय सर्विस टैक्स एवं अन्य सभी टैक्स इत्यादि सहित दी जावे।
2. रात्रि विश्राम की गणना रात्रि 10.00 बजे के बाद की जावेगी।
3. टोलटेक्स/पार्किंग एवं अन्तर्राज्यीय कर का भुगतान मूल रसीद प्रस्तुत करने पर किया जावेगा। विभाग के द्वारा जिन वाहनों का अर्न्तराज्यीय कर का त्रैमासिक आधार पर भुगतान कर दिया गया है, उस रूट पर वाहन की आवश्यकता होने पर सेवाप्रदाता एजेन्सी को पुनः उसी वाहन को भेजना होगा, किसी अन्य वाहन को भेजने पर उक्त टैक्स देय नही होगा।

हमें निविदा सूचना एवं निविदा पत्र में अंकित समस्त शर्ते मान्य है, एवं हमने प्रत्येक पृष्ठ पर अपनी टोकन सहमति व्यक्त करते हुए हस्ताक्षर किये हैं।

दिनांक :– 2017

हस्ताक्षर निविदादाता फर्म मय मोहर

विभाग द्वारा आवश्यकता पडने पर प्रतिदिन के आधार पर वाहन उपलब्ध कराने की दरे :–

1. निविदाकार को निविदा सीलबंद लिफाफे में ''वाहन प्रतिदिन के आधार पर हायर करने हेतु निविदा'' लिखकर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर को प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे के कोने पर निविदादाता अपना पूर्ण पता, दूरभाष न0, मोबाईल नं0 आदि अवश्यक लिखें।
2. निविदा के साथ बोली प्रतिभूति का बैंकर चैक/डिमाण्ड राशि 50000/– (चालीस हजार) का ड्राफ्ट सलंग्न करना आवश्यक है। उक्त राशि का बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न नहीं होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा उपस्थित निविदादाता के समक्ष निर्धारित तिथि एवं समय पर खोली जावेगी। विलम्ब से प्राप्त, सशर्त एवं अपूर्ण निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदा दरें स्पष्ट शब्दों व अक्षरों में ही भरी जाये। निविदा में कांट छांट/ओवरराईटिंग को सुचारू रूप से सत्यापित किया जावेगा।
4. किराये की दरें परिशिष्ठ – 'अ' में दिये गये प्रपत्र में प्रस्तुत की जाये।
5. निविदा एवं अनुबंध की शर्तो के अनुसार संतोषप्रद कार्य नही करने पर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संविदा को एक सप्ताह का नोटिस देकर समाप्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का निर्णय अन्तिम होगा।
6. फर्म के गठन मे किसी भी परिवर्तन की सूचना अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा इस विभाग को लिखित में दी जावेगी, जो मान्य होने पर ही लागू होगा, किन्तु इन परिस्थितियों में भी विभाग से हुए इस अनुबंध के संबंध में अनुपालना के दायित्व से मूल अनुबंधकर्ता को विमुक्त नहीं किया जावेगा।
7. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का मॉडल 1 जनवरी 2012 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। एवं वाहन सुचारू एवं अच्छी हालत में उपलब्ध कराया जावेगा।
8. विभाग न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर को होगा।
9. अनुबंधकर्ता फर्म को दिया गया कान्ट्रेक्ट, फर्म किसी अन्य एजेन्सी अथवा फर्म को नहीं सौंप सकेगी अर्थात सबलेट नहीं कर सकेगी।
10. अनुबंध की अवधि अनुबंध के हस्ताक्षर होने की दिनांक से एक वर्ष के लिए होगी, जिसमें परस्पर सहमति से समय–समय पर अनुबंध अवधि में अधिकतम 6 माह की वृद्धि ओर की जा सकती है।
11. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदादाता को बोली प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार राशि राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, जयपुर के पक्ष में जमा करानी होगी। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि Performance Security में समायोजित कर ली जा सकेगी तथा निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि लौटा दी जावेगी।
12. Bid Security (बोली प्रतिभूति) का समपहरण/जब्त (Forfeiture) निम्न स्थितियों में किया जा सकेगा :–
    - जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात् किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित (Modificaton) कर देता है।
    - जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता,

- जब कार्यादेश दिये जाने के पश्चात् नियत समय मे Performance Guarantee राशि जमा नहीं कराता या,
- जब निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ करने में विफल रहता है।

13. विभाग द्वारा समानान्तर Contract किया जा सकता है। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदादाता को स्वयं के खर्चे पर नियमानुसार नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध करना होगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अनुबंधकर्ता को वार्षिक अनुबंध राशि के 5 प्रतिशत राशि (अमानत राशि के समायोजन सहित) के बराबर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के रूप में विभाग को डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा करानी पडेगी। यह राशि अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर वापिस लौटा दी जावेगी। इस राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

14. Performance Security को निम्न परिस्थितियों में <u>समपहरण/जप्त</u> (Forfeiture) किया जा सकता है :–
    - जब निविदा के किसी निबंधन और शर्तो को भंग किया जाता है।
    - निविदादाता संतोषप्रद रूप से सेवा प्रदायगी में विफल रहता है।
    - प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। समय के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

15. अनुमोदित ठेकेदार एवं वाहन चालक के पास चालू हालत में मोबाईल फोन होना आवश्यक है। वाहन Comprehensively insured होगा। वाहन आवश्यकतानुसार 24 घंटे में कभी भी मांगा जा सकता है। मोबाईल फोन बंद होने की स्थिति में वाहन आपूर्ति नहीं करने पर वाहन तत्काल इस कार्यालय द्वारा अन्य एजेन्सी से मंगवाकर कार्य सम्पादित कर लिया जावेगा। इस प्रक्रिया मे जो भी व्यय होगा उसके अन्तर की दुगनी राशि अनुबंधित एजेन्सी (सफल निविदादाता) के भुगतान से काट ली जावेगी।

16. दरों में सभी आनुषांगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिये एवं सर्विस टैक्स जमा कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

17. अनुबंधित वाहन के किसी भी प्रकार की टूटफूट या दुर्घटना अथवा चालान होने पर जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। इसका उत्तरादायित्व वाहन मालिक का ही होगा।

18. इस कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार वाहन किसी भी समय किराये पर लिया जा सकता है तथा वाहन का प्रयोग किसी भी स्थान की यात्रा हेतु किया जा सकता है।

19. वाहन के किलोमीटर की रिडिंग आदि सूचना हेतु Duty Slipप्रमाणित कराकर देनी होगी। यात्रा समाप्ति पर संबंधित प्रयोग करने वाले अधिकारी के, कुल किलोमीटर वाहन का प्रयोग किया गया है के सत्यापन का हस्ताक्षर मय नाम एवं पद कराने होगें।

20. वाहन के साथ हर समय पंजीयन/रोड़ टैक्स/फिटनेस प्रमाण पत्र, Comprehensive बीमा, प्रदूषण एवं आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है। वाहन टैक्सी परमिट का ही होना चाहिए। यदि किसी दस्तावेज के अभाव में कोई पैनेल्टी आदि लगती है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी स्वंय ठेकेदार की होगी।

21. वाहन साफ–सुथरी अवस्था में उपलब्ध होनी चाहिए तथा सीट पर साफ सुथरा कवर लगा कर ही भेजना होगा। वाहन चालक निर्धारित वर्दी में होना चाहिए।

22. कार्यालय के उपयोग किए जाने की अवधि में यदि कोई वाहन खराब हो जाता है तो उसकी मरम्मत कराने व मरम्मत पर होने वाले व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

23. वाहन की कन्डीशन वाहन भेजे जाते समय अच्छी होनी चाहिए। अगर वाहन रास्ते में खराब हो जाता है तो तुरन्त अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। विभाग द्वारा व्यवस्था करने पर उसका हर्जाना (Risk & Cost) स्वरूप राशि की कटौती एजेन्सी के बिल में से करने हेतु विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।

24. वाहन चालक वैध लाईसेंसधारी मय वर्दी के होगा व वाहन के समस्त कागजात व ड्राईविंग लाईसेंस सदैव अपने पास रखेगा। ड्यूटी के दौरान वाहन चालक नशे की हालत में नही होगा। वाहन चालक का विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति व्यवहार मर्यादा पूर्ण होगा।

25. वाहन के सम्बंध में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर विभाग तुरंत प्रभाव से वाहन को हटा सकेगा जिस सम्बंध में विभाग द्वारा वाहन मालिक को कोई हर्जाना देय नहीं होगा तथा इसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, साथ ही सुरक्षा राशि भी जप्त (Forfaiture) की जा सकती है।

26. अर्न्तराज्यीय कर/टोल टैक्स/पार्किंग का यदि भुगतान किया जाता है तो निविदादाता द्वारा भुगतान किया जाकर विभाग को प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ रसीद संलग्न करने पर पुनर्भरण किया जावेगा।

27. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा।

28. समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर स्थित न्यायालयों में ही होगी अन्य स्थान पर नही।

29. वाहन चालक को विभिन्न कानूनों नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित सुविधायें निविदाकार द्वारा स्वंय के स्तर पर उपलब्ध कराई जायेगी। इस सम्बंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कोई दायित्व नहीं होगा।

30. किसी भी दावे का भुगतान नियमानुसार आयकर अथवा अन्य कर जो सरकार द्वारा दायी हो, की कटौती के पश्चात् ही किया जावेगा।

31. फर्म को बिल के मूल भुगतान के साथ जीएसटी का भुगतान करने पर फर्म को निर्धारित समय में जीएसटी की राशि संबंधित विभाग में जमा करानी होगी। यदि जीएसटी की राशि जमा कराने में ठेकेदार द्वारा देरी की जाती है एवं यदि कोई पैनेल्टी आदि लगती है तो इसकी समस्त जिम्मेवारी स्वंय ठेकेदार की होगी।

32. प्राप्त निविदाओं को दृष्टिगत रखते हुये किसी शर्त में शिथिलन की आवश्यकता महसूस की जावेगी तो ऐसा शिथिलन समस्त निविदाकारों पर समान रूप से लागू होगा किन्तु डीजल आदि दरों में वृद्धि/कमी का लाभ किसी भी दशा में फर्म को नही दिया जावेगा।

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्ते ध्यानपूर्वक पढ़ ली है। मैं/हम इनका निष्पादन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय नाम,
फर्म एवं पते सहित